[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 05/2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020

सा.का.नि. .....(अ).– केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/99 सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999, सा.का.नि. सं0 161(अ) तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना की, सारणी की सूची क में,--

(i) क्रम सं0 80 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम सं0 82 के सामने,--

(क) स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर ''76,85'' प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ख) स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर ''2% तक सिलिकॉन या मैग्नीशियम की अशुद्धता वाले अल्यूमीनियम तार'' प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) क्रम सं0 190 के सामने स्तंभ (3) में ''ब्लेड फ्यूज़ बॉडी'' शब्दों के पश्चात् ''माइक्रो फ्यूज़ बेस, सब मिनिऐचर फ्यूज़ बेस, माइक्रो फ्यूज़ कवर और सब मिनिएचर फ्यूज़ कवर'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iv) क्रम सं0 225 के सामने स्तंभ (2) में ''3908 90 90'' प्रविष्टि के स्थान पर ''3907 99 90 या 3908 90 90'' प्रविष्टि रखी जाएंगी।

[फा.सं. 334/2/2020 - टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 **25/99**-सीमाशुल्क तारीख 28 फरवरी, 1999 सा.का.नि. संख्यांक 161(अ) तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 36/2019-सीमाशुल्क तारीख 30 दिसंबर, 2019 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित की गई थी जो अधिसूचना सा.का.नि संख्यांक 964(अ) तारीख 30 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।